न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 2887-II/14

Rs 201—

491
21.8.14

1. लक्ष्मण पाल पिता रतिया गड़रिया

2. मोतीलाल पिता रतिया गड़रिया ----------निगरानीकर्तागण

बिरुद्ध

म0प्र0 शासन

-----------अनावेदक

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0.1/अ 19(1)/13-14
निगरानी बिरुद्ध निर्णय जिलाध्यक्ष महोदय
सतना प्रकरण क्रमांक 0.1/अ 19(1)/13-14
आदेश दिनांक 3/1/2014

श्री राजकुमार सिंह .एड
द्वारा आज दिनांक..21.8.14 . के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र के अन्तर्गत धारा 50
M.P.L.R.C 1959

मान्यवर,

अपीलार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत अपील निम्न तथ्यो व आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है :-

तथ्य

क्रमांक 2156
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5-8-14 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. यह कि ग्राम अजमाईन तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 की भूमि आराजी क्र022 रकवा 1.500 मे अपीलार्थीगणो का पुस्तैनी कब्जा दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थीगणो द्वारा मकान व कूप बनाकर निवास करने का कार्य व कृषि का कार्य किया जाता रहा है तथा वर्तमान मे भी अपीलार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि पर सोयाबीन व ~~धान~~ तडमन अरहर की फसल बोई गई है।

21.8.14

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-2887/II/14 ..... जिला : सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.9.15	प्रकरण मे आवेदक अभि० श्री राजकुमार सिंह उपस्थित। उन्हे प्रकरण मे सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों मे मुख्य रूप से यह बताया गया कि कलेक्टर सतना द्वारा जारी आदेश दिनांक 3-1-2014 मौन है कलेक्टर द्वारा अपने आदेश मे आवेदन पत्र को निरस्त करने के कानूनी आधार तथा कारण अंकित नही किये गये है जबकि कलेक्टर को प्रकरण मे बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था जो नही किया गया। इसके अतिरिक्त वही तथ्य प्रकट किये जो निगरानी मेमो मे अंकित है। जिन्हे यहां उल्लेखित न करते हुए विचार मे लिया जा रहा है। आवेदक अभि० के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण के संलग्न कलेक्टर के आदेश दिनांक 3-1-2014 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि कलेक्टर द्वारा मात्र अनु० अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत आवेदक को भूमि आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है प्रकरण निरस्त होकर रिकार्ड दाखिल हो। कलेक्टर द्वारा प्रकरण मे किसी भी प्रकार से [illegible] मे निहित कानूनी बिन्दुओं का सहारा आवेदन पत्र को निरस्त करने मे नही लिया गया है और न ही ऐसा कोई कारण अभिलेखित किया गया है जो उनके आदेश को कानूनी एवं विधिक रूप से बल प्रदान	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ... आदि के हस्ताक्षर
	करता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया कलेक्टर का आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। कलेक्टर को प्रकरण इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे प्रकरण में म०प्र० कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही गैर शहरी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार का प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 में वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में बोलता हुआ आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	